

## प्रेस नोट दिनांक 28.11.2020

1. दिनांक 27.11.20 को वादी श्री रतन कुमार शर्मा थानाध्यक्ष हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नवनीत यादव पुत्र हरीराम यादव नि० नगईपुर थाना जयसिंहपुर सुलतानपुर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 360/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 27.11.20 को वादी श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र भवानी प्रसाद नि० सिधौना थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ट्रक चालक संदीप पुत्र अनन्तराम यादव नि० राजा का पुरवा कन्धई कला थाना खण्डासा अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता भवानी प्रसाद व बहन जनकलली को जिससे गम्भीर चोटें आना तथा इलाज के दौरान जनकलली की मृत्यु हो जाना व मोसा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 330/20 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 27.11.20 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मायाराम निषाद पुत्र राम शंकर नि० कसारी थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 480/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।